राजस्थान RAJASTHAN

BD 057181

शपथ पत्र AFFIDAVIT

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... उम्र 30 साल निवासी ..... तहसील ..... जिला जैसलमेर का निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरी संस्था का नाम ..... एवं संस्था का पंजीयन संख्या ..... 1632/16 ..... है।
2. मेरे पशु शिविर/गौशाला का संचालन स्थान ..... तहसील ..... जिला जैसलमेर है।
3. मैं पशु शिविर/गौशाला के संचालन का स्थान ..... है। मेरे घोषित पशु शिविर/गौशाला मे वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये 200 बड़े 190 छोटे 10 कुल पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर/गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण /विडीयोग्राफी करवाई जा सकेगी। मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की पूर्णतः पालना करूंगा/करूंगी।
5. मैं भली भांति परिवत हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण /विडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमि/अनियमितता पाई जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की सभी शर्तो का पूर्णतःपालन करूंगा/करूंगी।
7. जिले द्वारा समय -समय पर दी गई शर्तो की पूर्णतः पालना करूंगा/करूंगी।

SIGNATURE OF AFFIDAVIT

SAWAI SINGH
NOTARY JAISALMER

3/6/2021

शपथग्रहिता

अध्यक्ष
जन्म विकास एवं सेवा संस्थान
आसदे की ढाणी, जैसलमेर

तसदीक मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... उम्र 30 साल निवासी ..... तहसील ..... जिला जैसलमेर शपथपूर्वक तसदीक करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में अंकित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही

पंजीयन क्रमांक 1632/16

दिनांक 19.12.2016

डिस्पेच नं. 218

दिनांक 19.12.2016

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री जेज विकास एवं सेवा संस्थान

ग्राम आसदेव की ढाणी पोस्ट देवा

तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री अब्दुल खान — अध्यक्ष निवासी (ट्रस्टी)

गौशाला श्री जेज विकास एवं सेवा संस्थान ने राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ। आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक उन्नीस माह दिसम्बर वर्ष दो हजार सोलह

19/12/16

रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक

(गौशाला पंजीकरण एव नस्ल सुधार कप गौशाला विकास अधिकारी

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....76...../जैसल/2009-2010..

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान आसदे की ढाणी जिला जैसलमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक.....आठ.....माह.....अगस्त.....सन् दो हजार नौ..को जैसलमेर में दिया गया ।

(रमेश कुमार दाधीच)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर